न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 808–दो/07 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–4–2007 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला गुना प्रकरण कमांक 5/स्व. निगरानी/2006–07.

1– बादशाह बारेला आ0 कालूराम बारेला
2– स्टीफन पन्ना आ0 गुज्जू पन्ना
निवासीगण ग्राम मोहनपुर खुर्द
तहसील व जिला गुना .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर गुना
2– अनुविभागीय अधिकारी, गुना
3– नायब तहसीलदार, वृत्त 2 उमरी गुना .....अनावेदकगण

श्री ए.के. अग्रवाल, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री राजीव गौतम, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/11/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर, जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–4–2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनुविभागीय अधिकारी, गुना द्वारा कलेक्टर, जिला गुना के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन दिनांक 7–6–2004 एवं 6–3–2007 प्रस्तुत किया गया कि आवेदक कमांक 1 बादशाह बारेला को नायब तहसीलदार, गुना के प्रकरण कमांक 295/60x162 आदेश दिनांक 18–7–1960 से ग्राम

नानीपुरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 9/26, 11/8 एवं 12/11 कुल किता 3 कुल रकबा 20 बीघा का पट्टा दिया गया था । आवेदक कमांक 1 बादशाह बारेला द्वारा बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के दान पत्र कमांक 3062 दिनांक 13–2–2002 से सर्वे कमांक 9/26 रकबा 4.054 हेक्टेयर में से रकबा 1.045 हेक्टेयर का अंतरण आवेदक कमांक 2 स्टीफन पन्ना के हित में किया गया है । इसके अतिरिक्त इसी भूमि में से आवेदक कमांक 1 बादशाह बारेला द्वारा एक अन्य दान पत्र कमांक 2883 दिनांक 22–1–2002 एवं विकय पत्र कमांक 1769 दिनांक 20–8–2004 के द्वारा रकबा 1.009 हेक्टेयर पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से विकय की गई है । कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 5/स्व. निगरानी/2006–07 दर्ज कर आवेदक कमांक 1 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर जवाब चाहा गया । आवेदक कमांक 1 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किये जाने पर कलेक्टर द्वारा दिनांक 30–4–2007 को आदेश पारित कर दिनांक 18–7–1960 को जारी पट्टा निरस्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि शासकीय घोषित की गई । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ प्रकरण में दिनांक 14–9–2016 को शासन के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया एवं आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा दस दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत किये जाने का अनुरोध किया गया था, किन्तु उनके द्वारा नियत अवधि में लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में किया जा रहा है । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया गया कि पुनर्विलोकन की अनुमति व्यवहार प्रकिया संहिता, 190 के आदेश 47 नियम 1 के प्रावधानों के अंतर्गत ही दी जा सकती है ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय द्वारा यह विचार नहीं किया गया है कि आवेदक कमांक 2 का नाम राजस्व अभिलेखों में संवत् 2032 के पूर्व से भूमिस्वामी की हैसियत से दर्ज है, और उसके द्वारा वादग्रस्त भूमि के खसरा कमांक 9/26 में से रकबा 1.045 हेक्टेयर पंजीकृत दान पत्र दिनांक 13–2–2002 के माध्यम से आवेदक कमांक 1 को

दान में दी गई है, और आवेदक कमांक 1 के पक्ष में नामांतरण पंजी कमांक 26 में पारित आदेश दिनांक 30–3–2002 से राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है । ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों को अनदेखा कर नामांतरण प्रमाणित किया गया है ।

(3) इस प्रकरण में संहिता की धारा 165–7(ख) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, क्योंकि आवेदक का नाम भूमिस्वामी के रूप में संवत् 2032 के पूर्व से ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज था, और 40 वर्ष उपरांत उक्त भूमि दान की गई है ।

(4) आवेदक कमांक 1 द्वारा उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि को दिनांक 28–4–2004 को पंजीकृत विकय के माध्यम से खसरा कमांक 9/26 में से रकबा 1.009 हेक्टेयर भूमि विकय की गई थी, और आवेदक कमांक 2 के पक्ष में ग्राम सभा नानीपुरा के प्रस्ताव कमांक 5 दिनांक 7–10–2004 नामांतरण पंजी कमांक 2 दिनांक 29–11–2004 के द्वारा राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है । ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों को अनदेखा कर नामांतरण प्रमाणित किया गया है ।

(5) संहिता धारा 158 (3) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति लीज या बंटन के दस वर्ष के भीतर उसका अंतरण नहीं करेगा । अर्थात दस वर्ष पश्चात कोई अंतरण किया जाता है तो ऐसा अंतरण विधिमान्य है न कि विधि विरूद्ध, किन्तु अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया गया है ।

(6) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा श्री गणेशराम ग्वाल एवं अमित जैन के कथित आवेदन के आधार पर कार्यवाही प्रारंभ की गई थी, ऐसी स्थिति में पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान करने के पूर्व आवेदकगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए समय–सीमा के संबंध में विनिश्चय करना चाहिए था

(7) वर्ष 1960 में आवेदक कमांक 1 को उक्त भूमि प्राप्त हुई थी, ऐसी स्थिति में स्वमेव निगरानी की कार्यवाही प्रारंभ करने की स्थिति में समय–सीमा का प्रश्न उत्पन्न होता है । 47 वर्ष पश्चात पुनरीक्षण की कार्यवाही विधि एवं प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

तर्कों के समर्थन में ए.आई.आर. 1969 (सु.को.) 1297, 1998 (1) एम.पी. वीकली नोट एस.एन. 26 (उच्च न्यायालय), 1999 आर.एन. 363, 2004 आर.एन. 183 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदकगण शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वैधानिक एवं उचित आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक कमांक 1 द्वारा अनावेदक कमांक 2 को प्रश्नाधीन भूमि बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के विकय की गई है, जबकि पट्टे पर प्राप्त भूकिम को बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के विकय नहीं की जा सकती है । इसके अतिरिक्त प्रश्नाधीन भूमि का उपयोग भी परिवर्तित किया गया है, जबकि पट्टे की शर्तों के अनुरूप प्रश्नाधीन भूमि के स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है । ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा निरस्त करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है, इसलिए उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–4–2007 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर